न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 60 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जोधाराम पुत्र मंगनाराम
2. चेलाराम पुत्र जोधाराम
3. अणसी धर्मपत्नी जोधारामजी समस्त जातियान कलबी, समस्त निवासीयान सूरसिंह का ढाणी (जागसा) तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज)

बनाम रेस्पोडेंटगण

1.छगनाराम पुत्र जैसाजी
2.केवलाराम पुत्र जैसाजी
3.शंकरराम पुत्र जैसाजी समस्त जातियान पुरोहित, समस्त निवासीयान सूरसिंह का ढाणी (जागसा), तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर(राज)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 119 / 2019 बअनवान छगनाराम वगै. बनाम जोधाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.08.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 14.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1745 / 824 रकबा 09.13 बीघा भूमि ग्राम सूरसिंह का ढाणी (जागसा) में आवागमन उपयोग में लेने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाया है। उससे अपीलांटस की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1540 / 821 रकबा 43.05 बीघा में संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल रास्ता 15 फीट कटाण रास्ता घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट / प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद है तथा मौके पर चालु होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा दिनांक 03.09.2020 को विपक्षीगण का जबाव व पक्ष सुने बिना ही सीधे तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस आदेश की जानकारी अपीलांटस को नहीं हो सकी जिससे वे इस बिन्दु पर न्यायालय को अपना पक्ष नहीं बता सके, न ही तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांटस को मौका रिपोर्ट तैयार करने की दिनांक की जानकारी दी गई। तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर वनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका रिपोर्ट में अपीलांटस की भूमि खसरा नम्बर 1540/821 को मौके पर खाली होना बताया गया है, जबकि इस भूमि पर अपीलांटस के 6 वर्षों से अनार के पौधे लगे हुए है, जिसकी संख्या करीब 2000 है। अगर अपीलांटस के खेत में से रास्ता दिया जाता है तो अपीलांटस के अनार का बगीचा कतई सुरक्षित नहीं रह पायेगा तथा इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई नहीं होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पंर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1745/824 रकबा 09.13 बीघा मौजा सूरसिह का ढाणा (जागसा) में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटस को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटस द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा किसी भी प्रकार के निकटतम दूरी के रास्ते का विकल्प पेश नहीं किया गया। मौका फर्द दिनांक 05.10.2020 में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थीगण की ओर से चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन हेतु कोई कटान का सड़क/रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के खेत तक उसके चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग/सड़क जिस पर ग्रेवल डाला हुआ नहीं है। मौके पर भूमि खुली व खाली पड़ी है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटास की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 119/2019 बअनवान छगनाराम वगै. बनाम जोधाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.08.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर